न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 435/2023

अनवान : –

1. राजकुमार पुत्र काशीराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 10/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 4 पीपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खात स0 28/25 के प0न0 95/24 के मु0न0 20 के किला न0 6 ता 8 व 11 ता 25 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अमरसिंह उर्फ राजकुमार दर्ज हैं जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम राजकुमार है जो की वादी के समस्त दस्तोवजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व संरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत तस्दीक मे दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। अत वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अमरसिंह उर्फ राजकुमार के स्थान पर राजकुमार दर्ज करवाना चाहता हैं वादी का वादी डिक्री किया जावे।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की मुताबिक दस्तावेजात वादी का नाम दुरूस्त कर देवे तो प्रतिवादी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे कितु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अमरसिंह उर्फ राजकुमार दर्ज हैं जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम राजकुमार है जो की वादी के समस्त दस्तोवजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व संरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत तस्दीक मे दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। अत वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अमरसिंह उर्फ राजकुमार के स्थान पर राजकुमार दर्ज करवाना चाहता है। वादी का वाद डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:10:18 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 4 पीपीएम तहसील नोहर

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खात स0 28/25 के प0न0 95/24 के मु0न0 20 के किला न0 6 ता 8 व 11 ता 25 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अमरसिंह उर्फ राजकुमार दर्ज हैं जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम राजकुमार है जो की वादी के समस्त दस्तोवजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व संरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत तस्दीक मे दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। अत वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अमरसिंह उर्फ राजकुमार के नाम स्थान पर राजकुमार दर्ज करवाना चाहता है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मुताबिक वादी का उक्त नाम सहायक कलक्टर नोहर द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दर्ज किया गया है। इस न्यायायल द्वारा पूर्व में आदेश जारी किया जा चुका है एवं वादी द्वारा पुन अनुतोष हेतु वाद पेश किया गया है जबकि वादी पुन न्यायालय हाजा में अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के अभाव में वाद वादी स्वीकार योग्य नही है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ......10/03/26. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:10:18 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 435/2023

अनवान : –

1. राजकुमार पुत्र काशीराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 435 सन 2023 निर्णय दिनांक 10/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक...10/03/26.......को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:10:18 IST
Reason: SelfAttested